निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 336) पटना, सोमवार, 18 अप्रील 2016

सं0 प्र06–विविध–77/2015—2151 खाद्य

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

————————

संकल्प

31 मार्च 2016

विषय :–डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 की स्वीकृति के संबंध में ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा देना है। इसके आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12 प्रतिशत अर्थात 783.74 लाख एवं नगरीय क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत अर्थात 87.42 लाख आबादी कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया जाना है। अधिनियम की धारा–10 के अधीन निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की औपबंधिक डाटा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 7,62,76,273, शहरी क्षेत्रों में 85,70,400, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 12,80,998 तथा 45 वर्ष की विधवा महिला की 1,67,064 पात्र लाभुकों की संख्या कुल 8,62,94,735 व्यक्तियों का चयन कर ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, द्वारा डाटाबेस उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्व वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा कुल 8,57,12,067 लाभुकों (अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) के लिए माह अक्टूबर, 2015 से प्राप्त संशोधित 457821.725 मे0टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन के अनुरूप लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एवं पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य दर 2/– रू0 प्रति किलो गेहूँ एवं 3/– रू0 प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की जा रही है।

3. बिहार राज्य में दिनांक 01.02.2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0–196/2001 पी0यू0सी0एल0 बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 14.09.2011 को पारित न्याय निर्णय के अनुसार सभी राज्यों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक खाद्यान्न को पहुँचाना सुनिश्चित करना है । इसके आलोक में संकल्प संख्या– 8226 दिनांक 31.12.2013 के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना माह जनवरी 2014 से लागू है। उक्त योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से भंडार निर्गमादेश निर्गत करना, एस0एम0एस0 के माध्यम से संबंधित को सूचित करना, भंडार में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से खाद्यान्न तौलने एवं

वाहनों में जी0पी0एस0 ''लोड सेल'' के साथ लगाकर उनके ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है । जन शिकायत निवारण प्रणाली की भी सुदृढ़ व्यवस्था हैं ।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015'' के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर केन्द्रांश प्राप्त होने एवं डीलर मार्जिन में की गई बढ़ोतरी के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करने हेतु डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 लागू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

5. डोर स्टेप डिलेवरी योजना का उदेश्य एवं लक्ष्य

(क) लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण करना ।

(ख) खाद्यान्न की गुणवत्ता अक्षुण्ण रखना।

(ग) निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न लाभुकों को पहुॅचाना।

(घ) पारदर्शिता बनाये रखना।

6. डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम की कार्य योजना

इसके कार्यान्यन हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम नोडल अभिकरण नामित है । डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान प्रक्रिया एवं प्रावधान के अंतर्गत सम्बद्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम के प्रखंड स्थित नामित गोदामों तक एवं निगम के नामित गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न का परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था की जाती है । जिलावार नियुक्त परिवहनकर्ता उक्त कार्य को यथावत संपादित करते है। इसके बाद प्रखंड गोदाम से पंचायतवार आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का परिवहन छोटे वाहनों द्वारा पंचायत में स्थित उचित मूल्य के दुकान तक/पंचायत स्तर पर चिन्हित नोडल स्थानों तक कराया जाता है, जहॉ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उनके नाम निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्व खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है ।

7. ''अभिहित डिपो'' (एफ0सी0आई0 के Designated depots) से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न के संचलन एवं परिवहन की व्यवस्था

डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन 'लोड सेल युक्त जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से कराये जाने की व्यवस्था होगी । जी0पी0एस0 यंत्र में ''लोड सेल'' लगाने से सही समय पर वाहनों की Tracking, Unsheduled stoppage alarm, Over speed Tamper alarm, GPS Antenna Tamper alarm, Ignition on/off alarm, Weight Reduction alarm के संबंध में सूचनाऍ प्राप्त होगी ।

(i) भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन की व्यवस्था

(क) खाद्यान्न का मासिक आवंटन को संबंधित माह में उठाव करने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम तैयार कर उसकी प्रति भारतीय खाद्य निगम, परिवहन अभिकर्त्ता, सहायक गोदाम प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को दी जायेगी ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित संख्या में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त ट्रकों को जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के माध्यम से प्रतिनियुक्त खाद्यान्न उठाव प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम के उठाव प्रभारी, परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनों से संबंधित जिला के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भेजेंगे तथा संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक को गंतव्य स्थान, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नं0, ट्रक डाईवर का नाम एवं उसका मोबाईल नं0, खाद्यान्न की मात्रा तथा प्रस्थान का समय भेजेंगे। संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एस0एम0एस0 प्राप्त होते ही संबंधित ट्रक के सम्पर्क में रहेंगे और गोदाम में पहुॅचने की अनुमानित समय से अधिक होने पर परिवहन अभिकर्त्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे । राज्य खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न वाला ट्रक पहुॅचने की सूचना सहायक गोदाम प्रंबधक द्वारा उठाव प्रभारी को एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी जिसमें उन्हें एस0एम0एस0 से प्राप्त सूचना का व्यौरा रहेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रको में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल लगे रहने की जांच कर लेंगे तथा जिस ट्रक में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल नहीं लगा हो उस ट्रक से खाद्यान्न नहीं भेजेंगे तथा इसकी सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को देंगे ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न से लदे ट्रकों को परिवहन प्रारंभ होते ही निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा इसकी ट्रैकिंग प्रारंम्भ कर दी जायेगी । निर्धारित रूट से विचलन होने अथवा निर्धारित रूट के बीच में जी0पी0एस0 ऑफ होने के Alert की सूचना संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता,

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा दी जाएगी ।

(ii) खाद्यान्न के परिवहन की व्यवस्था :–

परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा सभी वाहनों को एक रंग (पीले रंग के आधार पर) से रंगवाकर उसपर नीले रंग से जिला का नाम एवं '**डोर स्टेप डिलेवरी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण**' लिखा गया है, का अनुपालन राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। सभी वाहनों को निर्धारित रूट से ही डीलर की दुकानों तक पहुॅचना है। परिवहन सह हथालन अभिकर्ता की नियुक्ति पूर्व की भॉति राज्य खाद्य निगम द्वारा निविदा के माध्यम से की जायेगी।

आकस्मिक स्थिति (यथा – आपदा प्रबंधन के दौरान निर्बाध खाद्यान्न की आपूर्ति) में भी खाद्यान्न का परिवहन जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों से ही की जायेगी ।

परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा प्रखंड गोदाम में पदस्थापित सहायक प्रबंधक के निदेशानुसार वाहनों को अपनी देख–रेख में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान/पंचायत स्थल पर चिन्हित नोडल स्थान तक खाद्यान्न पहुॅचाया जाता है एवं निर्गमादेश के अनुरूप दुकानदारों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है तथा वाहन चालन एवं निर्गमादेश की सेवित प्रति अपने नियंत्री सहायक प्रबंधक को उसी दिन उपलब्ध कराया जाता है। दुकानदारों की भंडारपंजी एवं निर्गमादेश की पीली प्रति में भी उनके द्वारा प्रविष्टि की जाती है। प्रत्येक गोदाम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दुकानदार का हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर गोदाम प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

(iii) कम्प्यूटर के माध्यम से भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करने हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया निम्नवत् हैं :–

(क) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन को निगम मुख्यालय में जिलावार खाद्यान्न को उपावंटित कर कम्प्यूटर में उक्त ऑकड़ा को फ्रीज (Freeze) किया जाता है ।

(ख) जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा प्राप्त आवंटन को प्रखंडवार में आवंटित कर उनके द्वारा आवंटन के ऑकड़ों को फ्रीज (Freeze) किया जाता है ।

(ग) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार उपावंटन किया जाता है ।

(घ) सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अपने आवंटन के अनुरूप ई–चालान के माध्यम से किसी भी बैंक से राशि का हस्तातंरण निगम के अधिकृत खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से की जाती है ।

(ङ) डीलर द्वारा जमा की गई राशि की सम्पुष्टि होते ही जिला प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिकली भंडार निर्गमादेश तैयार करते हैं एवं एस0एम0एस0 से इसकी सूचना डीलर को, संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को तथा गोदाम के प्रभारी प्रबंधकों को भी दी जाती है ।

(iv) खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था :–

प्रत्येक प्रखंड में डीलर को खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु डिलेवरी शिडूयुल जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित दिवस का प्रचार–प्रसार कर वितरण सुनिश्चित किया जाता है । पंचायत में खाद्यान्न प्राप्ति की सूचना एस0एम0एस0 से स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं सतकर्ता समितियों को दिया जाता है । जन विरतण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित तिथि को खाद्यान्न नही लिये जाने की स्थिति में परिवहन खर्च की वसूली संबंधित विक्रेता से की जाती है जिसका निर्धारण राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही खाद्यान्न की प्राप्ति करते है जिसका सत्यापन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । सहायक गोदाम प्रबंधक की पूर्ण जिम्मेवारी है कि गोदाम से उठाव ससमय कराते हुए पंचायत में प्रातः 10.00 बजे खाद्यान्न पहुॅचाने की व्यवस्था करें ।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा उसी के अनुरूप खाद्यान्न की व्यवस्था कर एस0आई0ओ0 के अनुसार खाद्यान्न को उक्त डीलर के दुकान पर उक्त दिवस को खाद्यान्न भेजने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाता है। सहायक गोदाम प्रबंधक, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को एस0आई0ओ0 की प्रति एवं ट्रक/ट्रैक्टर का चालान को भी डीलेवरी एजेंट को सौंपते हैं तथा उसकी प्राप्ति डीलर से कराकर वापस सहायक गोदाम प्रबंधक को सौंपी जाती हैं।

(v) खाद्यान्न को तौलने की व्यवस्था :–

परिवहन अभिकर्ता का यह दायित्व है कि डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित तिथि को एस0आई0ओ0 के अनुरूप आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का वजन कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न मुहैया करायें एवं सही माप का प्रमाण–पत्र जन वितरण प्रणाली विक्रेता से प्राप्त करें ।

प्रत्येक कार्यरत प्रखंड गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था की गई है एवं प्रत्येक गोदाम पर लैपटॉप के साथ कर्मी की व्यवस्था की गई है । प्रखंड गोदाम में प्राप्त खाद्यान्न के आगत एवं निर्गत होने पर इसकी प्रविष्टी कम्प्यूटर के माध्यम से की जाती है जिससे गोदाम की इनभेंटरी अविलंब तैयार हो जाती है । जन वितरण प्रणाली के दुकान पर भी खाद्यान्न के वजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम द्वारा की जा रही है ।

(vi) एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना की व्यवस्था :–

निर्धारित तिथि को डीलर के खाद्यान्न को वाहनों में लोड करने के पश्चात् डीलर को, पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों को तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था की गई है। निगम के बेवसाईट पर इच्छुक उपभोक्ता भी अपना मोबाईल नम्बर का निबंधन कराकर इस आशय की सूचना प्राप्त कर सकते है, इसकी व्यवस्था राज्य खाद्य निगम द्वारा की जा रही है ।

(vii) जी0पी0एस0 अनुश्रवण हेतु 24 × 7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन दिन एवं रात अर्थात 24 घंटे किया जाता है इस कारण खाद्यान्न परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों में लगे जी0पी0एस0 की ट्रेकिंग हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा 24 × 7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना निगम मुख्यालय में की जाएगी।

(viii) जन शिकायत निवारण प्रणाली :–

राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में टॉल फ्री नं0– 18003456194 की व्यवस्था की गई है जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है । प्राप्त शिकायतों को संबंधित पदाधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है । संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई की जाती है । उक्त शिकायत का निवारण कर इसकी सूचना दी जाती है ।

(ix) बेवपोर्टल की व्यवस्था :–

खाद्यान्न वितरण एवं एस0आई0ओ0 तथा जन शिकायत संबंधी अन्य जानकारी के लिए निगम द्वारा sfc.bihar.gov.in नामक बेवपोर्टल की व्यवस्था भी सामान्य नागारिकों के लिए की गई है ।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के पात्र लाभुकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद एवं डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत निम्नवत् दर से राशि का भुगतान किया जा रहा है :–

(दर – रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	स्वीकृत राशि		
		मार्जिन मनी एवं अन्य (सकल्प सं0– 2395 दिनांक 20.03.2015)	डोर स्टेप डिलेवरी योजना (सकल्प सं0– 8832 दिनांक 20.11.2014)	कुल स्वीकृत राशि
1	परिवहन एवं हथालन	38.40	38.40	76.80
2.	डीलर कमीशन	40.00	शून्य	40.00
3.	वैट	10.41	शून्य	10.41
4.	स्थापना	7.77	7.77	15.54
5.	भंडारण	3.89	0.40	4.29
6.	कम्प्यूटराईजेशन	0	4.08	4.08
7.	आकस्मिकता	01.00	01.00	02.00
कुल योगः–		**101.47**	**51.65**	**153.12**

उक्त वर्णित दर में से कम्प्यूटराईजेशन मद में भुगतेय राशि 4.08 रू0 प्रति क्वींटल के दर का भुगतान कम्प्यूटराईजेशन मद के अन्तर्गत किया जाएगा ।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–22(4)(घ) के साथ पठित धारा–39(2)(ङ) के आलोक में भारत सरकार द्वारा ''खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015'' अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दूकानों के डीलरों को संदत मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत् निर्धारित किया गया हैः–

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	**व्यय के सन्नियम (दर रूपये प्रति क्विंटल)**			**केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)**
	अन्तर–राज्यीय संचालन और उठाई–धराई	उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन		
		मूल	पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी	
सामान्य	65	70	17	50

राज्य में FPS Automation योजना के लागू होने के पश्चात् खाद्यान्न का वितरण पॉईट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से करने पर अतिरिक्त मार्जिन मनी 17/– रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान किया जाएगा जिसमे केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी ।

10. उपरोक्त कंडिका 9 में वर्णित खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये दर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मांगा गयी दर के आलोक में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना में वास्तविक व्यय की गणना निम्नवत् की गई है :–

(दर– रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	वास्ताविक व्यय की राशि	केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि	
			भारत सरकार	राज्य सरकार
1	(क) परिवहन एवं हथालन * (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से)	76.80	32.50	44.30
2.	डीलर कमीशन	70.00	35.00	35.00
3.	स्थापना	15.54	शून्य	15.54
4.	भंडारण	4.29	शून्य	4.29
5.	आकस्मिकता	2.00	शून्य	2.00
6.	वैट	10.41	शून्य	10.41
	कुल :–	**179.04**	**67.50**	**111.54**

***** भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक आवंटन में से सी0एम0आर0 (राईस) मद से प्राप्त खाद्यान्न का परिवहन यदि टी0पी0डी0एस0 के नामित गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत किया जाता है, तो परिवहन एवं हथालन हेतु निर्धारित 38.40 रू0 प्रति क्वींटल की दर में से भारत सरकार से प्राप्त 32.50 रू0 प्रति क्वींटल के अलावा अवशेष राशि राज्यांश मद से देय होगी ।

उक्त वर्णित राशि में से वैट की राशि की मांग भारत सरकार से की गई है। उक्त राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की स्थिति में इसका समायोजन राज्य सरकार द्वारा निर्गत राशि से किया जाएगा । डीलर कमीशन में बढ़ोतरी के पश्चात् जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत अपना कमीशन 70/– रू0 प्रति क्वींटल रखते हुए 130/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से गेहूँ एवं 230/– प्रति क्वींटल की दर से चावल का मूल्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को जमा किया जाएगा ।

11. भारत सरकार के अधिसूचना सं0–जी0एस0आर0–636 दिनांक 17 अगस्त 2015 की कंडिका 10(1) के अनुसार केन्द्रीय अंश के आधार पर आकलित व्यय के केन्द्रीय अंश का 75 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार के लिए अग्रिम रूप में जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा अग्रिम रूप में राज्यांश की राशि विमुक्त की जाएगी । पूर्व वर्ष में वितरित खाद्यान्न की मात्रा को आधार मानते हुए राज्य सरकार नोडल एजेंसी को तिमाही अग्रिम भुगतान करेगी । नोडल एजेंसी से पूर्व तिमाही में किये गये भुगतान का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी तिमाही का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा ।

i. यह योजना 01.04.2016 से लागू की जाएगी । इसके लागू किये जाने की तिथि से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन 70 रु0 प्रति क्विंटल की दर से भुगतेय होगा ।

ii. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लागू होने की तिथि से खाद्य सुरक्षा (राज्यों के सहायता) नियम 2015 के अनुसार माह मार्च, 2014 (वित्तीय वर्ष 2013–14), वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का केन्द्रांश प्राप्त होने पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को पूर्व में भुगतान की राशि का समायोजन निगम के विपत्रों में से की जाएगी ।

12. अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद में भुगतान हेतु कंडिका–10 एवं 11 में वर्णित दर के अनुसार भुगतान एवं समेकित रूप से डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी हेतु भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन के मद में व्यय की जाने वाली राशि का भुगतान में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या–18 उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 3456001020306 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0– P 3456007890302, विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0–P 3456007960302 विषय शीर्ष 33–01 सब्सिडी एवं मुख्यशीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघु शीर्ष 102–सिविल पूर्ति योजना उपशीर्ष 0206 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विपत्र कोड सं0–P 3456001020206 विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किया जाएगा।

14. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 21.03.2016 को मद संख्या–29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । संचिका संख्या–प्र06–विविध–77/2015–23/टि0 ।

15. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेशः–अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 336-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in